भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 855

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

बिहार में खुले आश्रय स्थल

855. **श्री राजीव प्रताप रूडीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष रूप से बिहार में मिशन वात्सल्य योजना के तहत सहायता प्राप्त खुले आश्रय स्थलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त राज्य में विशेष रूप से सारण जिले में खुले आश्रय स्थलों की संख्या अन्य राज्यों और जिलों की तुलना में कम है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त राज्य में विशेष रूप से उक्त जिले में खुले आश्रय स्थलों की कम संख्या के क्या कारण हैं और इन असमानताओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मिशन वात्सल्य नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले बच्चों अर्थात् देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों तथा कानून से संघर्षरत बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनमें संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल दोनों सेवाएं शामिल हैं। खुला आश्रय गृह लापता, दुर्व्यापार के शिकार, कामकाजी बच्चों, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों, बाल भिखारियों, किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों, अनधिकृत क्षेत्रों/मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों, प्रवासी आबादी के बच्चों, सामाजिक रूप से उपेक्षित समूहों के बच्चों आदि को सहायता प्रदान करते हैं।

मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारें अपनी स्थानीय आवश्यकता और बाल देखरेख संस्थाओं की आवश्यकता के आधार पर एक वार्षिक कार्य योजना और वित्तीय प्रस्ताव तैयार करती हैं। इन्हें राज्य के अधिकारियों के साथ आयोजित परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकों में विचार और अनुमोदित किया जाता है। दिनांक 31.03.2024 तक देश में मिशन वात्सल्य योजना के तहत सहायता प्राप्त खुले आश्रय स्थलों की संख्या 227 है। सारण जिले सहित बिहार में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत अभी तक किसी खुले आश्रय स्थल को सहायता नहीं दी गई है।

*****